



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 20, 2019/अग्रहायण 29, 1941

No. 735]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 20, 2019/AGRAHAYANA 29, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 942(अ)—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण), संशोधन, नियम, 2008 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 11 में,-
(i) प्रारम्भिक पैरा में, "यांत्रिक यान" शब्दों के पश्चात् "और सुरक्षा यान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ii) खंड (क) में, उपखंड (xxv) के पश्चात् और खंड (ख) से पहले, निम्नलिखित *स्पष्टीकरण* अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "सुरक्षा यान" से केंद्रीय सशस्त्र बलों या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों अथवा राज्य पुलिस से सुरक्षा कार्मिकों को ले जाने वाला यान अभिप्रेत है;'.

[फा. सं. एच-25016/02/2018-टोल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए थे और उन्हें तत्पश्चात्, सा.का.नि. संख्यांक 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010, सा.का.नि. संख्यांक 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. संख्यांक 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011, सा.का.नि. संख्यांक 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013, सा.का.नि. संख्यांक 26(अ),

तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 2(अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014, सा.का.नि. संख्यांक 220(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. संख्यांक 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. संख्यांक 1114(अ), 2 दिसंबर, 2016, सा.का.नि. संख्यांक 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017, सा.का.नि. संख्यांक 427(अ), तारीख 7 मई, 2018 और, सा.का.नि. संख्यांक 427(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th December, 2019

G.S.R. 942(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection), Amendment, Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 11,—

(i) in the opening paragraph, after the words “mechanical vehicle”, the words “and a security vehicle” shall be inserted;

(ii) in clause (a), after the sub-clause (xxv) and before clause (b), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

‘Explanation.— For the purposes of this clause, “security vehicle” means the vehicle carrying security personnel from Central armed forces or Central para-military forces or State police;.’

[F. No. H-25016/02/2018-Toll]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. No. 838(E), dated the 5th December, 2008 and subsequently amended *vide* number G.S.R. No. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. No. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. No. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. No. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. No. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. No. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. No. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. No. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. No. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. No. 1114(E), dated 2nd December, 2016, G.S.R. No. 248(E), dated 14th March, 2017, G.S.R. No. 427(E), dated the 7th May, 2018 and G.S.R. No. 427(E), dated 25th September, 2018.